पुश्तैनी भूमि की घोषणा वादीगण कराने की अधिकारी होने से वादी वादीगण का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। तथा अंतिम डिक्री किये जाने से पूर्व मौक पर पक्षकारान के कब्जे काश्त अनुसार घोषणा खातेदारी हेतु प्रत्येक खातेदार अपने अपने हक बंट की भूमि मे आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध कराते हुये दिनांक 22.09.2022 को तहसीलदार जायल से प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये हेतु जाने आदेश जारी किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 22.09.2022 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2528 दिनांक 17.08.2023 को प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय/पक्षकारान् ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में रिद्वकरण, गुलाराम, गोपालराम, कालुराम, सीताराम व शिवराज ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि उपस्थित भू.अभि.निरीक्षक तथा पटवार हल्का की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। प्रतिवादी संख्या 3 से 4 डालीदेवी पुत्र गुलाराम व भूरीदेवी पुत्री रिद्वकरण के हक बंट में मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 3 से 4 का राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क लिया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा जायल तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 628, 750, 58 में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषित कर तहसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

**— : : आदेश : : —**

अतः वाद वादीगण का अधीन धार 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर मौजा जायल तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 628, 750, 58 में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषित कर तहसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया।

1. वादी सीताराम पुत्र गुलाराम के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 628 रकबा 4.5648 हैक्टेयर में से 1.2222 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार उतरी पश्चिमी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी कालुराम पुत्र रिद्वकरण के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 628 रकबा 4.5648 हैक्टेयर में से 1.2222 हैक्टेयर माफिक नजरीनक्शानुसार उतरी पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी शिवराज पुत्र गुलाराम के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 628 रकबा 4.5648 हैक्टेयर में से 1.0602 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी भाग व खसरा नंबर 750 रकबा 1.4771 हैक्टैयर में से 0.7386 हैक्टेयर उतरी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादी गोपाल मेघवाल के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 628 रकबा 4.5648 हैक्टेयर में से 1.0602 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी भाग व खसरा नंबर 750 रकबा 1.4771 हैक्टैयर में से 0.7385 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

5. प्रतिवादी संख्या 2 रिड़करण पुत्र उमाराम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 58 रकबा 1.2302 हैक्टेयर में से 0.6151 हैक्टेयर उतरी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

6. प्रतिवादी संख्या 1 गुलाराम पुत्र उमाराम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा जायल के खेत खसरा नंबर 58 रकबा 1.2302 हैक्टेयर में से 0.6151 हैक्टेयर दक्षिणी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

7. प्रतिवादी संख्या 3 व 4 कमश डाली देवी, भूरी देवी के मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।

8. तहसीलदार से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

9. नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

10. बैंक के रहन खसरान् बैंक के रहन यथावत रहेगें। संबंधित बैंक को सूचित हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 9.9.22 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

( ओमप्रकाश वर्मा )
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner